(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

उद्योग भवन

अधिसूचना सं० 31 /2015–20

नई दिल्ली, दिनांकः– 29 सितम्बर, 2017

विषय : आईटीसी (एचएस) की अनुसूची 2 के अध्याय–13, क्रम सं० 89 के तहत ग्वार गम के निर्यात के लिए शर्तों में संशोधन के संबंध में।

सां.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, समय–समय पर यथा संशोधित आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण 2012–अनुसूची 13 में क्रम सं० 89 में ''प्रतिबंध के स्वरुप'' में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती हैः

संशोधन के पश्चात् आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण 2012– अनुसूची 2 (निर्यात नीति) के अध्याय 13 में क्रम सं० 89 के मामले में संशोधित तालिका निम्नानुसार होगी :-

क्र. सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
89	**1302** 1302 32 20 1302 32 30	कि.ग्रा.	ग्वार गम रिफाइंड स्प्लिट ग्वारगम ट्रिटिड और पलवराइज्ड।	मुक्त	यूरोपीय संघ को पशु या मानव उपभोग के लिए भारत में उत्पन्न या भारत से भेजे जाने वाले ग्वार गम के निर्यात की अनुमति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकृत प्रतिनिधि अर्थात शैलाक एवं वन्य उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शैफेक्सिल), कोलकाता के द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अधीन होगा जिसके साथ निम्नलिखित एजेंसियों में से किसी के द्वारा जारी पेंटा क्लोरोफिनॉल (पी.सी.पी.) की जाँच की मूल विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न होनी चाहिए जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिए गए नमूने की जाँच में पीसीपी की मात्रा प्रति कि०ग्रा० 0.01 मिलिग्राम से अधिक नहीं हैः– (i) विम्ता लैब्स, हैदराबाद (ii)निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए) लैब, चेन्नई

2. <u>इस अधिसूचना का प्रभावः</u>

विम्ता लैब्स, हैदराबाद के अलावा निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए) लैब, चेन्नई को भी पेन्टा क्लोराफेनॉल (पीसीपी) की जांच की विश्लेषण रिपोर्ट जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
ई मेल :- dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/265/ए एम 09/निर्यात प्रकोष्ठ (खंड– II) से जारी)